



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228368
CG-DL-E-20072021-228368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]
No. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ़ 28, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा. का. नि. 495(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में निदेशक (प्रशासन), उपनिदेशक (प्रशासन), सहायक निदेशक (प्रशासन) और सहायक अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, प्रशासन खंड (वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद), भर्ती नियम 2021 है।
(2). ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना:** - ये नियम इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएँ, आदि** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति -

जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** – राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिखित में किए गए अनुरोध पर जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (प्रशासन)	1* *2021- (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13(123100-215900/- रु०)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78,800-2,09,200/- रु०) या समतुल्य पदों पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री; और ii) प्रशासन व स्थापन में बारह वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (प्रशासन)	5* *2021- (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700/-रु०)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500/- रु०) या समतुल्य पदों पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री; और (ii) प्रशासन व स्थापन में पाँच वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (प्रशासन)	7* *2021- (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100/-रु०)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/- रु०) या समतुल्य पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री; ii) प्रशासन व स्थापन में तीन वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)	4* *2021 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय अराजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/- रु०) या समतुल्य पदों पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) प्रशासन व स्थापन में दो वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस 12012/209/2019-एन एच ए]

डॉ. प्रवीण एन. गेडाम, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(NATIONAL HEALTH AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Director (Administration), Deputy Director (Administration), Assistant Director (Administration) and Assistant Section Officer (Administration) in the National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Health Authority, Administration Division (Group A'' and Group B'' Posts), Recruitment Rules, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:- These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix - The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5 Disqualification.- No person, --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion, on a request made in writing by the National Authority that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Administration)	1* *2021-(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (Including short term contract)

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption ,grades from which promotion or by deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<u>Deputation (including short term contract)</u> Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience:- (i) Master's degree from a recognised University or institute; and ii) twelve years' experience in administration and establishment Note 1; The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Administration)	5* *2021 (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

(11)	(12)	(13)
<u>Deputation including short term contract</u> Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: a(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience:-- (i) Master's degree from a recognised University or institute; and (ii) five years' experience in administration and establishment Note 1: The period of deputation (Including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Administration)	7* *2021 (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'B'.	Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following qualifications and experience:- i) Master's degree from a recognised University or institute. ii) three years experience in administration and establishment. Note 1: The period of deputation (Including short term contract) including period of deputation (Including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Section Officer (Administration)	4* *2021 (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non Ministerial, Non Gazetted, Group 'B'.	Level 7 in the pay matrix (44900-142400)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

(11)	(12)	(13)
<u>Deputation including short term contract</u> Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: a(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 in the pay matrix (35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience:- (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) two years experience in administration and establishment. Note 1: The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No.S.12012/209/2019-NHA]

Dr. PRAVEEN N GEDAM, Addl. Chief Executive Officer (Jt. Secy. Level)